रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2005/माघ 12, 1926
No. 35] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2005/MAGHA 12, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2005

जांच शुरुआत

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय : यू एस ए तथा कनाडा के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन सी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबंधित मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत।

सं. 15/24/2004-डीजीएडीः- यतः 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए दिनांक 10 जुलाई 2003 की अधिसूचना संख्या 14/25/2002-डीजीएडी के द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने यू एस ए तथा कनाडा (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन सी (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है)के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया था ।

और यतः दिनांक 8 अगस्त, 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना द्वारा संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

समीक्षा के लिए अनुरोध

2. यतः उपरोक्त नियमों में प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाए रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है और यदि प्राधिकारी प्राप्त निश्चयात्मक सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि इस प्रकार के शुल्क को निरंतर लगाए रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार को इसे वापस लेने की सिफारिश कर सकते हैं । उपरोक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गयी समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करने वाली निश्चयात्मक सूचना के आधार पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद एक उचित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटन के प्रतिसंतुलन के लिए शुल्क को लगातार जारी रखना आवश्यक है, कि शुल्क की समाप्ति अथवा परिवर्तित अथवा दोनों कर दिए जाएं तो क्या क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

3. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार एक आयातक मै0 बालाजी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन्स प्रा0 लि0 और संबद्ध वस्तु के अंतिम प्रयोक्ता मै0 बायोकेम इंटरनेशनल प्रा0 लि0 तथा मै0 एंग्लो-फ्रेंच ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लि0 ने लागू पाटनरोधी शुल्क की परिवर्तित परिस्थितियों में मध्यावधि समीक्षा के लिए अनुरोध किया है ।

समीक्षा के लिए आधार

4. आवेदक ने दावा किया है कि पाटन और क्षति दोनों की परिस्थितियों में काफी परिवर्तन हुआ है जिसके कारण लागू पाटनरोधी उपायों की समीक्षा करना आवश्यक है । आयातकों ने अन्य बातों के साथ-साथ दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सी आई एफ कीमत में वृद्धि होने के कारण पहुँच मूल्य में वृद्धि हुई है । नवम्बर, 2002 के दौरान आयात सी आई एफ कीमत 4.5 डालर प्रति किग्रा0 थी जबकि अब कीमत लगभग 8 डालर प्रति किग्रा0 है । डी पी सी ओ को 557 रूपए प्रति किग्रा0 से कम करके 500 रूपए प्रति किग्रा0 कर दिए जाने के कारण एस्कोर्बिक एसिड की घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट आई है । विटामिन सी के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री अर्थात् केटो ग्युलोनिक एसिड की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 4.4 डालर प्रति किग्रा0 से घटकर 2.3 डालर प्रति किग्रा0 हो जाने के कारण डी पी सी ओ में कमी की गयी है । निवेदन में आगे कहा गया है कि भारतीय औषधि विनिर्माता एसोसिएशन के प्रकाशन आई डी एमए के अनुसार वर्ष 2000-01 के लिए मांग का लक्ष्य 1611 मी.टन था जबकि वर्ष के दौरान घरेलू उत्पादन 546.22 मी.टन था और अगले वर्ष 2001-02 के दौरान वास्तविक उत्पादन 539.43 मी.टन था । यद्यपि भारत में विटामिन सी के चार विनिर्माता हैं तथापि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए केवल मै0 साराभाई केमिकल्स ने नियमित रूप से भागीदारी की है । यह आरोप भी लगाया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी देशी विनिर्माता बाजार मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है जो कि मुख्य रूप से उत्पादन, प्रौद्योगिकी की अकुशलता और वित्तीय बाधाओं आदि के कारण है और यही कारण है कि मांग को पूरा करने के लिए भारत में विटामिन सी का आयात किया जाता है ।

जांच शुरूआत

5. परिवर्तित परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई निश्चयात्मक सूचना के मद्देनजर लागू उपाय की समीक्षा करना जरूरी हो जाने के कारण निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त

नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क (5) के प्रावधान के अनुसार परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित समझते हैं।

6. दिनांक 10 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 14/25/2002-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा का निर्णय लेकर प्राधिकारी एतद्द्वारा नियमों के अनुसार जांच आरंभ करते हैं ताकि यह समीक्षा की जा सके कि क्या यू एस ए एवं कनाडा के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन सी के आयातों पर लगातार शुल्क लगाया जाना पाटन की समाप्ति के लिए आवश्यक है अथवा क्या शुल्क को समाप्त अथवा परिवर्तित किए जाने अथवा दोनों की स्थिति में क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

विचाराधीन उत्पाद

7. मूल जांच और वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पाद विटामिन सी है जो उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।

प्रक्रिया

8. जांच द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या पाटन की समाप्ति के लिए शुल्क को जारी रखा जाना आवश्यक है तथा क्या शुल्क के हटाए जाने अथवा उसमें परिवर्तन करने अथवा दोनों से क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

(i) समीक्षा में दिनांक 10 जुलाई, 2003 की अधिसूचना सं0 14/25/2002-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे ।

(ii) इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2003 से 30 सितम्बर, 2004 तक की है । तथापि क्षति विश्लेषण की अवधि, वर्ष 2000-01 से वर्ष 2003-04 तक होगी ।

(iii) इस जांच में शामिल देश यू एस ए तथा कनाडा है ।

सूचना देना

9. संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में

संबद्ध आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में एवं तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करें एवं अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराएं :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011
फैक्सः 91-11-23014418

10. अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संबंधित अपने निवेदन नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय निवेदन करने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसका अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, जिसे जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु सार्वजनिक फाइल में रखा जाएगा ।

समय-सीमा

11. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई हेतु किसी प्रकार के अनुरोध लिखित में भेजे जाने चाहिए जो उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाएं । यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है, अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

12. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें प्राधिकारी के समक्ष अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं । यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

डॉ. क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2005

INITIATION

(Mid-term Review)

Subject : Initiation of Mid-term Review of anti-dumping duty imposed on imports of Vitamin C originating in or exported from the USA and Canada.

No. 15/24/2004-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), vide Notification Number 14/25/2002-DGAD dated 10th July, 2003, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of Vitamin C (herein referred to as subject goods) originating in or exported from the USA and Canada (hereinafter referred to as subject countries).

AND WHEREAS definitive anti-dumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification dated 8th August, 2003.

Request for Review

2. WHEREAS the Rules require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti-Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of positive information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the authority may recommend to the central government for its withdrawal. Notwithstanding the above provision the authority is required to review, on the basis of positive information submitted by any interested party substantiating the need for a review, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty, whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

3. In terms of the above provision one of the importers M/s Bajaj Health and Nutritions Pvt. Ltd. and M/s Biokem International Pvt. Ltd. and M/s Anglo-French Drugs and Industries Ltd. the end users of the subject goods has filed a request for a changed circumstances mid-term review of the anti-dumping duty in force.

Grounds for Review

4. The applicant claims that the conditions of both, dumping and injury have changed substantially requiring a review of the anti-dumping measure in force. The importers have *inter alia* claimed that the landed value has increased because of increase in the international CIF price. The import CIF price during Nov. 2002 was $ 4.5 per kg whereas now the price is around $ 8 per kg. The domestic selling price of Ascorbic acid has come down because the DPCO has been reduced from Rs. 557/kg to Rs. 500/kg. The DPCO has been reduced because the international price of the raw material manufacturing Vitamin C i.e. Keto Gulonic acid has come down from $ 4.4 per kg to $ 2.3 per kg. In the submissions it if further stated that the target for demand for the year 2000-01 as per Indian Drugs Manufacturers Associations publication IDMA was 1611 MT whereas the domestic Production during the year was 546.22 MT and actual production during next year 2001-02 was 539.43 MT. Though there are four manufacturers of Vitamin C in India, only M/s Sarabhai Chemicals has been participating regularly for imposition of anti-dumping duties. It is also alleged that even after the imposition of anti-dumping duty, the indigenous manufacturers are not able to meet market demand, mainly due to inefficiency in production, technology and financial constraints etc. and that is the reason of importing Vitamin C into India to meet the demand.

Initiation

5. Having regards to the positive information provided by the applicant indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that a mid-term review of the Anti-Dumping Duty is appropriate in view of the changed circumstances, in terms of the provision of Section 9A (5) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 supra.

6. having decided to review the final findings notified vide Notification No. 14/25/2002-DGAD dated 10th July 2003, the Authority hereby initiates the investigations in terms of the Rules, to review whether continued imposition of the duty on imports of Vitamin C originating in or exported from the USA and Canada is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

Product under Consideration

7. The product involved in the original investigation and the current review is Vitamin C falling under Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act. This classification however, is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Procedure

8. The investigation will determine whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury is likely to contine or recur if the duty were removed or varied, or both.

(i) The review will cover all aspects of Notification No. 14/25/2002-DGAD dated 10th July, 2003.

(ii) The period of investigation for the purpose of this review will be 1st October 2003 to 30th September 2004. However, injury analysis shall cover the years from 2000-01 to 2003-04.

(iii) The countries involved in this investigation are USA and Canada.

Submission of Information:

9. The exporters in subject countries, their governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the :

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties

Ministry of Commerce and Industry

Department of Commerce

Udyog Bhavan

New Delhi- 110 011.

Fax : 91-11-2301 4418

10. Any other interested party may also make its submissions relvant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making confidential submissions before the Authority is required to file a non-confidential version of the same, for placing the same in

the public folder for inspection by all other interested parties to the investigation.

Time Limit

11. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

Inspection of Public File :

12. In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the submissions made by other interested parties before the Authority. In case as interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr. CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.